ओवरव्यू

इस प्रतिवेदन में (i) ग्रामीण तथा शहरी जल आपूर्ति स्कीमें; (ii) स्कूलों में मिड डे मील्ज का राष्ट्रीय कार्यक्रम; तथा (iii) प्राईवेट कालेजों तथा प्राईवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की रूपरेखा, पर तीन निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा अधिक, अनियमित, निष्फल व्यय, परिहार्य भुगतान, राज्य को हानि, नियमों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कमियां इत्यादि से संबंधित ₹ 528.64 करोड़ से आवेष्टित 27 अनुच्छेद शामिल हैं। कुछ मुख्य उपलब्धियां नीचे उल्लिखित हैं:

2010-15 के दौरान राज्य का कुल व्यय ₹ 33,063 करोड़ से 62 प्रतिशत बढ़कर ₹ 53,677 करोड़ हो गया, राज्य सरकार का राजस्व व्यय 2010-11 में ₹ 28,310 करोड़ से 74 प्रतिशत बढ़कर 2014-15 में ₹ 49,118 करोड़ हो गया जबकि 2010-15 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय ₹ 4,031 करोड़ से आठ प्रतिशत घटकर ₹ 3,716 करोड़ रह गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा

"ग्रामीण तथा शहरी जल आपूर्ति स्कीमों" की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। कुछ मुख्य उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

- एक व्यापक पंचवर्षीय जल सुरक्षा योजना तैयार नहीं की गई थी। केवल मांग के आधार पर वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। आगे, 455 बस्तियों में जल की कमी थी और 73 नगरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कोई योजना तैयार नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.1.6.1, 2.1.6.3 और 2.1.6.4)

- 5,003 ग्रामीण जलापूर्ति स्कीमों में से मार्च 2015 तक 1,857 स्कीमों को अपूर्ण छोड़ते हुए केवल 3,145 स्कीमें (63 प्रतिशत) पूर्ण की गई। अपरिष्कृत जल की उपलब्धता, संबंधित प्राधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्ति, भूमि का स्पष्ट स्वामित्व सुनिश्चित किए बिना जल कार्यों के लिए अनुपयुक्त स्थलों का चयन, ठेकेदारों के विरूद्ध विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न करना, पाईपों की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना कार्यों के निष्पादन के परिणामस्वरूप में 25 स्कीमें अपूर्ण रही तथा ₹ 30.46 करोड़ का निष्फल/व्यर्थ व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 2.1.8.1 से 2.1.8.5 और 2.1.8.7)

- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अधीन जल संसाधनों की कायमता का घटक सही ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया क्योंकि इस घटक के लिए अभिप्रेत ₹ 17.39 करोड़ की निधियां जलापूर्ति स्कीमों पर व्यय कर दी गई थी। आगे, जल कायमता के लिए सृजित परिसंपत्तियों के रख-रखाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई।

(अनुच्छेद 2.1.8.8)

- 354 शहरी जल आपूर्ति स्कीमों में से मार्च 2015 तक केवल 213 स्कीमें (60 प्रतिशत) पूर्ण की गई थी। तीन स्कीमें रेलवे से अनुमति की कमी, स्टोरेज तथा सेडीमेंटेशन टैंकस के लिए भूमि की अनुपलब्धता और भू-स्वामियों के साथ भूमि विवाद न सुलझाने के कारण अपूर्ण पड़ी थी, परिणामस्वरूप ₹ 26.82 करोड़ की निधियों का अवरोधन/निष्फल व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 2.1.8.10 से 2.1.8.13)

- चयनित जिलों में पानी के 2,19,000 नमूनों के परीक्षण के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 1,08,593 (50 प्रतिशत) नमूने एकत्र किए गए और परीक्षण किए गए जिनमें से 13 प्रतिशत अयोग्य पाए गए। आगे, स्वास्थ्य विभाग के डाटा के अनुसार, जीवाणु-वैज्ञानिक परीक्षण के लिए जांचे गए 15,481 नमूनों में से 5,818 नमूने (38 प्रतिशत) मानवीय उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाए गए।

(अनुच्छेद 2.1.8.14)

- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं थी क्योंकि सृजित परिसंपत्ति के रिकार्ड समुचित रूप से नहीं रखे गए थे, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली विद्यमान नहीं थी और विभिन्न रिपोर्ट उपचारक कार्रवाई करने के लिए प्रबंधक यंत्र के रूप में प्रयुक्त नहीं की जा रही थी।

(अनुच्छेद 2.1.9.1 से 2.1.9.3)

''स्कूलों में मिड डे मील्ज का राष्ट्रीय कार्यक्रम'' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। कुछ मुख्य उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

- स्कीम के कार्यान्वयन के लिए योजनाएं, स्कूल स्तर से डाटा प्राप्त करके या समुचित सर्वेक्षण किए बिना तैयार की गई थी।

(अनुच्छेद 2.2.6)

- ₹ 9.83 करोड़ के अव्ययित शेष तथा ₹ 0.65 करोड़ की राशि के अर्जित ब्याज जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों के बैंक खातों में पड़े थे।

(अनुच्छेद 2.2.7.3)

- स्कीम के अंतर्गत छात्रों का कवरेज 2010-15 के दौरान कम होकर 99 से 95 प्रतिशत हो गई थी। स्कूलों द्वारा खाद्यान्नों को लेने में भारी कमी 21 तथा 44 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित थी।

(अनुच्छेद 2.2.8.1 तथा 2.2.8.2)

- मिड डे मील्ज की आपूर्ति का कार्य कुरूक्षेत्र जिले में इस्कॉन को सौंपा गया था (सितंबर 2006)। इस्कॉन ने ₹ 1.23 करोड़ मूल्य के 5,761 क्विंटल खाद्यान्न जरूरत से ज्यादा उठा लिए थे तथा समग्र मात्रा को उपभुक्त के रूप में दर्शाते हुए उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए। यह विभाग द्वारा खाने की संख्या के सत्यापन के बिना खाद्यान्नों की निर्मुक्ति के कारण था।

(अनुच्छेद 2.2.8.4)

- विभाग ने बच्चों को दिए गए खाने की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य नमूनों की जांच के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की थी। आगे, हिसार, कुरूक्षेत्र तथा सिरसा जिलों में उचित औसत गुणवत्ता के खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली का अनुसरण नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2.2.8.5 तथा 2.2.8.6)

- 2006-10 के दौरान 11,483 किचन-कम-स्टोर के निर्माण की संस्वीकृति के विरूद्ध केवल 8,825 पूर्ण किए गए थे, 903 प्रगति पर थे तथा 1,755 का निर्माण शुरू नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2.2.8.10)

''प्राईवेट कालेजों तथा प्राईवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना की रूपरेखा'' की निष्पादन लेखापरीक्षा की गई। कुछ मुख्य उपलब्धियां नीचे दी गई है:

- प्राइवेट कालेजों को राज्य सरकार/संबद्ध विश्वविद्यालयों की टिप्पणियां प्राप्त किए बिना मान्यता प्रदान की जा रही थी, विश्वविद्यालय अपर्याप्त मूलभत संरचना, फैकल्टी इत्यादि वाले कालेजों को संबद्धता प्रदान कर रहे थे। विश्वविद्यालयों द्वारा नियमित निरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं था।

(अनुच्छेद 2.3.6.1 से 2.3.6.3)

- उच्चतर शिक्षा विभाग ने सरकारी प्राप्तियों के अभिलेखों का समुचित रख-रखाव नहीं किया। 2008-14 की अवधि हेतु प्राइवेट कालेजों की स्थापना के लिए प्रोसेसिंग फीस प्रभारण हेतु प्रावधान के अभाव के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 97 लाख के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2.3.7.1)

- चिकित्सा एवं अनुसंधान विभाग द्वारा, तीन करोड़ की बजाए ₹ एक करोड़ की बैंक गारंटी प्राप्त करने के बाद अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे। इसी प्रकार, उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा ₹ तीन करोड़ की बैंक गारंटी प्राप्त किए बिना तीन प्राइवेट कालेजों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.3.7.2)

- समुचित नियंत्रण करने में उच्चतर शिक्षा विभाग की विफलता के कारण एक बी.एड. कालेज ने जाली दस्तावेजों के आधार पर तथा तथ्यों को छिपाकर मान्यता प्राप्त कर ली।

(अनुच्छेद 2.3.8.1 (क))

- वार्षिक रिटर्न यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राइवेट विश्वविद्यालयों द्वारा हरियाणा के छात्रों को आरक्षण एवं फीस रियायत प्रदान की जा रही थी, उच्चतर शिक्षा विभाग को नियमित रूप से नहीं भेजी जा रही थी।

(अनुच्छेद 2.3.8.5)

- प्राइवेट कालेज अपर्याप्त मूलभूत संरचना से संचालित किए जा रहे थे। चार प्राइवेट विश्वविद्यालयों ने पात्रता मानदंड पूर्ण किए बिना 51 फैकल्टी सदस्यों को नियुक्त किया।

(अनुच्छेद 2.3.8.6 तथा 2.3.8.7)

अनुपालन लेखापरीक्षा

पशुपालन तथा डेयरी विभाग निधियों की उपलब्धता के बावजूद पशु-चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए मूलभूत संरचना का सृजन करने में विफल रहा। आधुनिकीकरण परियोजना, निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त किए बिना बंद कर दी गई। ₹ 1.79 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् 19 मोबाइल निदान प्रयोगशाला वैन, निदान उपकरण न खरीदने के कारण अप्रयुक्त रही। पालतू पशु क्लीनिक चलाने में अनियमितताएं देखी गई थी तथा वहां पशु-चिकित्सा मूलभूत संरचना का न्यून उपयोग था।

(अनुच्छेद 3.1)

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत स्वयं को धर्मार्थ संस्था के रूप में पंजीकृत नहीं करवाया और उसके कारण छूट का लाभ प्राप्त करने में विफल रहा परिणामस्वरूप आयकर और उस पर ब्याज के रूप में ₹ 60.35 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 3.4)

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 2010-15 के दौरान ग्यारह जिलों में भा.खा.नि. से बिलों की वसूली में विलंब के कारण ₹ 15.93 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया।

(अनुच्छेद 3.5)

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा नियमित रूप से स्टाक का भौतिक सत्यापन न करने, मिलरों की क्षमता से अधिक धान का आबंटन, समुचित गारंटी का प्राप्त न करना, दोषी मिलरों के विरूद्ध उचित कार्यवाही की कमी से युग्मित कारणों ने मिलरों द्वारा ₹ 115.48 करोड़ मूल्य के चावल की असुपुर्दगी को सुविधाजनक बनाया। मिलरों से चावल की कम आपूर्ति के कारण ₹ 24.46 करोड़ की अवसूली, मूल्य कट और आर्द्रता कट के कारण मिलरों से ₹ 2.40 करोड़ की अवसूली और कई मामलों में दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के मामले भी थे।

(अनुच्छेद 3.6)

जिला रैड क्रास सोसाइटियों (जि.रै.क्रा.सो.) ने वेतन एवं भत्तों पर ₹ 18.38 करोड़ तथा इसके मुख्य उद्देश्यों एवं लक्ष्यों पर मात्र ₹ 6.63 करोड़ व्यय किए थे। ₹ दो करोड़ का व्यय इसके उद्देश्यों के अंतर्गत आवृत न की गई गतिविधियों पर किया गया था। गबन, विकलांग व्यक्तियों को प्रशिक्षण न देना, आपूर्तिकर्ता पर पेनल्टी न लगाना, संविधान और जि.रै.क्रा.सो. के समरूप सेवा नियमों का अनुमोदन न करने के मामले भी थे।

(अनुच्छेद 3.9)

अपराध तथा अपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क तथा प्रणालियां परियोजना तीन वर्षों की समाप्ति के बाद भी पूर्ण नहीं की गई है। गृह विभाग जांच अधिकारियों को हार्डवेयर प्रदान करने में, पुलिस कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने, लिगैसी डाटा को डिजिटाइज/माइग्रेट करने, रीयल टाइम सूचना शेयरिंग के लिए पुलिस स्टेशनों, उच्चतर कार्यालयों तथा राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के बीच एप्लीकेशन साफ्टवेयर तथा नेटवर्क सेवाएं प्रदान करने में विफल रहा। विभाग कानून और सुव्यवस्था बनाए रखने में पुलिस के कार्यचालन में सुधार के लिए नागरिक केन्द्रिक सेवाएं प्रदान करने में भी विफल रहा।

(अनुच्छेद 3.11)

गृह विभाग द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराध नियंत्रण हेतु एक अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं बृहद परियोजना, बाहरी सर्विलेंस सिस्टम को कार्यान्वित न करने के परिणामस्वरूप ₹ 8.24 करोड़ की राशि की निधियां चार वर्षों से अधिक समय से अवरूद्ध रही, ₹ 14.48 लाख का व्यय निष्फल हुआ तथा ₹ 2.04 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(अनुच्छेद 3.12)

जेल विभाग की अनिर्णयता के कारण जैमर प्राप्त नहीं किए जा सके तथा छः वर्षों से अधिक समय हेतु ₹ पांच करोड़ की निधियां अप्रयुक्त रही। चार जेलों में सुरक्षा आधारभूत संरचना के सुधार का उद्देश्य अप्राप्त रहा इसके अतिरिक्त विभाग ने ₹ 1.20 करोड़ के ब्याज की हानि उठाई।

(अनुच्छेद 3.13)

'सिंचाई विभाग के कार्यचालन' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा रिपोर्ट मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) में शामिल की गई थी। विभाग द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई की जांच करने के लिए की गई अनुवर्तन लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि निष्पादन लेखापरीक्षा में छः अनुशंसाओं में से, एक अनुशंसा पूरी तरह से लागू की गई थी, एक अनुशंसा आंशिक रूप से लागू की गई तथा चार अनुशंसाएं लागू नहीं की गई थी। आगे, अन्य 23 अभ्युक्तियों में से, विभाग ने 8 अभ्युक्तियों के संबंध में महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाए थे; नौ अभ्युक्तियों के संबंध में पर्याप्त प्रगति की गई थी तथा छः अभ्युक्तियों के संबंध में अभीष्ट क्षेत्रों में पूर्ण प्रगति की गई थी।

(अनुच्छेद 3.17)

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) द्वारा अनुमान के सही न बनाने और सांहितिक प्रावधानों के अनुसार अनुमान का संशोधन न करने के कारण 13.88 से 27.60 किलोमीटर में निजामपुर-नारनौल-दादरी रोड़ (एस.एच.-17) पर ₹ 5.57 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त, 15.010 कि.मी. से 18.200 तक के बीच सड़क विनिर्देशनों के अनुसार नहीं थी और रख-रखाव पर ₹ 39.67 लाख का परिहार्य व्यय किया गया।

(अनुच्छेद 3.22)

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि स्कीम के कार्यान्वयन के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग में अपर्याप्त वित्तीय नियंत्रण के कारण भारत सरकार द्वारा कम निधियां जारी की गई, कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी करने में विलंब हुआ तथा क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने में कमी रही। अ.जा./अ.ज.जा. विकास योजनाओं के अंतर्गत प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के लिए निधियां आबंटित नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 3.23)

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सोशल आडिट यूनिट पूर्ण रूप से कार्यात्मक नहीं बनाई गई थी क्योंकि 44 संस्वीकृत पदों के विरूद्ध 32 खाली पड़े थे। सोशल आडिट करने के लिए ग्राम पंचायतों में रिसोर्स व्यक्तियों की पहचान, प्रशिक्षण और नियुक्ति नहीं की गई थी। 12,280 अपेक्षित सोशल आडिट करने की अपेक्षा के विरूद्ध केवल 6,771 सोशल आडिट किए गए थे। सोशल आडिट यूनिट द्वारा सोशल आडिट कैलेण्डर तैयार नहीं किया गया था सोशल आडिट प्रतिवेदन कार्यालय की वैबसाइट पर अपलोड नहीं की जा रही थी। सोशल आडिट सत्यापन न करने, सोशल आडिट ग्राम सभा कार्यवाहियों की वीडियोग्राफी की रिकार्डिंग न करने, सोशल आडिट प्रतिवेदन, वार्षिक प्रतिवेदन, इत्यादि तैयार न करने के उदाहरण भी देखे गए थे।

(अनुच्छेद 3.24)

स्टेडियमों के निर्माण और सौंपने में विलंब के मामले थे। आगे, स्टेडियम परित्यक्त पड़े थे और सही ढंग से रख-रखाव नहीं किया जा रहा था। प्रशिक्षकों और अन्य स्टाफ की कमी के अतिरिक्त स्टेडियमों में मूल सुविधाएं और खेल की मदें प्रदान नहीं की जा रही थी। खेल एवं युवा मामले विभाग में निधियों के रखने और एक मुख्य प्रशिक्षक को अनियमित भुगतान के मामले देखे गए।

(अनुच्छेद 3.25)

महिला एवं बाल विकास विभाग में प्री स्कूल शिक्षा किटों के प्रापण में देरी, फर्नीचर की अधिक खरीद, बर्तनों की खरीद पर अतिरिक्त व्यय, निधियों का विपथन और अनियमित खरीद के मामले देखे गए थे।

(अनुच्छेद 3.27)